

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
 (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
 नर्मदा भवन, द्वितीय तल 'सी' बिंग, 59 अरेंग हिल्स, भोपाल

क्र. / ३३८५ / एनआरईजीएस—म.प्र. / स्था. / एनआर-२/१०
 प्रति,

भोपाल दिनांक ०६.०४.१०

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत भिण्ड
 मध्यप्रदेश

विषय :— एनआरईजीएस शाखा के अधिकारी/कर्मचारी को वेतन भुगतान करने हेतु।
 संदर्भ :— जनपद पंचायत रौन का पत्र क्र. ५५७ दिनांक ३१.१.२.०९

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र द्वारा लेख किया गया है कि जनपद पंचायत रौन (भिण्ड) में प्रशासनिक व्यय अधिक होने के कारण किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को माह नवम्बर ०९ से मासिक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला/जनपद में योजनांतर्गत पदस्थ अमले को नियमित रूप से मासिक वेतन/संविदा पारिश्रमिक का भुगतान किया जावें, यदि उक्त व्यय ६ प्रतिशत प्रशासनिक नद से अधिक भी होता है तो भी भुगतान किया जावें।
 यह अनुमति केवल पदस्थ अमले के वेतन/ संविदा पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में ही दी जाती है।


6.4.10

(ए०केऽसिंह)

संयुक्त आयुक्त (प्रशासा)
 म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
 भोपाल

भोपाल दिनांक ०६.०४.१०

पृ.क्र. / ३३८६ / एनआरईजीएस—म.प्र. / स्था. / एनआर-२/१०

प्रतिलिपि:-

- कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।


6.4.10
 संयुक्त आयुक्त (प्रशासा)
 म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
 भोपाल